

आशा वर्कर्स को सबसे ज़्यादा मानदेय दे रहा हरियाणा

चर्चा में क्यों?

17 फरवरी, 2022 को हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार आशा कार्यकर्ताओं की जायज मांगों को लेकर बहुत संजीदा है, जिन पर सहानुभूतपूर्वक विचार किया जा रहा है।

प्रमुख बटु

- प्रवक्ता के अनुसार हरियाणा सरकार विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर पारिश्रमिक प्रदान कर रही है, जो कदिएश भर में सर्वोच्च है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार अन्य राज्यों की तुलना में आशा वर्कर्स को सर्वोत्तम पारिश्रमिक देने में भी शीर्ष पर है।
- संपूर्ण देश में हरियाणा की आशा कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा सबसे अधिक मानदेय राज्य बजट से दिया जा रहा है।
- वर्तमान में हरियाणा राज्य में कुल 20,001 आशा कार्यकर्ता, आशा पे-ऐप (ASHA PayApp) पर रजिस्टर्ड हैं, जिनमें भारत सरकार के नियमानुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मशिन के अंतर्गत 'विभिन्न गतिविधियों' करने के उपरांत केवल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव'दिये जाने का प्रावधान है।
- परंतु हरियाणा सरकार ने राज्य बजट से आशा कार्यकर्ताओं के लिये अतिरिक्त मानदेय हेतु 154.45 करोड़ रुपए का प्रावधान नमिनलखिति रूप में किया हुआ है-
 - 4000 रुपए मासिक नश्चिति मानदेय
 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मशिन के अंतर्गत कार्य-आधारित अर्जति मासिक राशिका 50 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय।
 - कार्य-आधारित 7 प्रमुख गतिविधियों के लिये 750 रुपए अतिरिक्त मानदेय।
 - आशा की मृत्यु उपरांत परिवार की आर्थिक सहायता के लिये तीन लाख रुपए।
- मार्च से नवंबर, 2021 तक 5033 (25.16 प्रतिशत) आशा कर्मियों को प्रतिमाह 10,000 रुपए से अधिक मानदेय दिया गया है, जसिमें से 38 आशा कर्मियों को प्रतिमाह 18,000 रुपए से अधिक, 318 आशा कर्मियों को 18,000 रुपए से 14,000 रुपए तक तथा 4677 आशा कर्मियों को 14,000 रुपए से 10,000 रुपए तक प्रतिमाह दिया गया है।
- इसी प्रकार, शेष 14968 आशा कर्मियों को 10000 रुपए से 6000 रुपए प्रतिमाह तक दिया गया है, जनिमें से 6000 रुपए प्रतिमाह लेने वाली आशा कर्मियों की संख्या पूरे राज्य में केवल 20 है।
- वही देश में सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मशिन (हरियाणा) द्वारा आशा वर्कर को एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्ट फोन सीयूजी समि 30 जीबी डाटा एवं असीमति टॉक-टाइम के साथ उपलब्ध करवाए गए हैं। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला प्रदेश है।
- उल्लेखनीय है कि आशा कार्यकर्ताएँ समाज के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाती हैं, परंतु राज्य में उनके स्वास्थ्य-कल्याणार्थ कोई योजना नहीं थी, इसीलिये हरियाणा सरकार ने उन्हें AB-PMJAY का लाभ देने नरिणय कथि, इसके तहत आशा और उसके परिवार के सदस्यों को हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत अस्पतालों में पाँच लाख रुपए प्रतिवर्ष तक का इलाज करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।